

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:- 03/2025
LCMS सं.- 2025/39L

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जेठन्तरी व कुम्पावास व भूअ.नि समदड़ी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार समदड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, शाला अध्ययन प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत जेठन्तरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार समदड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार समदड़ी को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जेठन्तरी हॉल्ट	310, 313, 314, 315, 366, 283, 295, 369, 370	भावेश पुत्र ढलाराम	भवानी बॉस उर्फ भावेश पुत्र ढलाराम
2	जेठन्तरी	679, 680, 681		
3	लालाणा	277/53		

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/2290
प्रतिलिपि -

दिनांक:- 17.09.2025

1. तहसीलदार समदड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी भवानी बॉस पुत्र ढलाराम जाति मेघवाल निवासी जेठन्तरी तहसील समदड़ी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

